कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 19/2020-21/

दिनांक : /03/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत, लण्ढौरा,

जनपद – हरिद्वार।

विषय : नगर पंचायत लण्ढौरा, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **03** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 09 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 19/2020-21/ **दिनांक: /03/2021**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्ढौरा, जनपद- हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए0के0 भारतीय, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में श्री अशोक कुमार, स0ले0प0अ0, एवं श्री साहिल जॉली, व0ले0प0, द्वारा दिनांक 13.08.2019 से 19.08.2019 तक संपादित की गयी। थी जिसमें अवधि 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **7.04 वर्ग किमी**

(ii) जनसंख्या: - **18370**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: - **09**

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **04**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: -

(vi) कर्मचारियों की संख्या: -**10**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: - **कार्यालय भवन, दुकाने**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा, हरिद्वार को विगत 05 वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि (`) मे

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी 2017 को जारी किए गये General Financial Rule, 2017 के द्वारा स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।										

(धनराशि ₹ लाख में)

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा , जनपद- हरिद्वार का वर्ष 2017-18 का आय व्यय विवरण-						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	0.63	425.97	426.60	328.94	97.66
2	14वां वित्त आयोग	56.33	32.63	88.96	88.96	0.00
3	अवस्थापना विकास निधि	3.10	83.94	87.04	1.03	86.01
4	S.B.M(IHHL)	00.00	3.23	3.23	2.97	0.26
5	SBM(CT/PT)	00.00	9.80	9.80	6.45	3.35
6	SBM(IEC)	00.00	0.75	0.75	0.42	0.33
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0.93	3.587	4.517	2.61	1.91
8	निकाय निधि	0.24	23.43	23.67	21.74	1.93
योग		**61.23**	**583.337**	**644.567**	**453.12**	**191.45**

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा, जनपद- हरिद्वार का वर्ष 2018-19 का आय व्यय विवरण-						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	97.66	566.93	664.59	551.65	112.94
2	14वां वित्त आयोग	00.00	129.91	129.91	129.91	0.00
3	अवस्थापना विकास निधि	86.01	0.00	86.01	73.45	12.56
4	S.B.M(IHHL)	0.26	0.00	0.26	0.223	00.037
5	SBM(CT/PT)	3.35	0.00	3.35	3.35	0.00
6	SBM(IEC)	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	1.91	387.42	389.33	383.11	6.22
8	निकाय निधि	1.93	22.56	24.49	20.99	3.50
	योग	191.45	1106.82	1298.27	1163.013	135.257

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढोरा , जनपद- हरिद्वार का वर्ष 2019-20 का आय व्यय विवरण-						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	112.94	566.12	679.06	557.04	122.02
2	14वां वित्त आयोग	0.00	226.57	226.57	202.66	23.91
3	अवस्थापना विकास निधि	12.56	32.92	45.48	29.45	16.03
4	S.B.M(IHHL)	0.037	6.836	6.873	6.474	0.399
5	SBM(CT/PT)	0.00	6.86	6.86	6.84	0.02
6	SBM(IEC)	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	6.22	35.40	41.62	0.00	41.62
8	निकाय निधि	3.50	22.80	26.30	24.75	1.55
	योग	135.257	898.256	1033.513	827.964	205.549

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।

(ii) लेखाओं का रख-रखाव उत्तराखण्ड नगरीय लेखा संग्रह द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान पंजिका तथा निर्माण कार्य पंजिका नहीं बनाई जा रही है।

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा, जिला- हरिद्वार का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	**14वां वित्त आयोग**	56.33	32.63	88.96	88.96	0.00
2018-19	**14वां वित्त आयोग**	00.00	129.91	129.91	129.91	0.00
2019-20	**14वां वित्त आयोग**	0.00	226.57	226.57	202.66	23.91
2017-18	**स्वच्छ भारत मिशन(IHHL)**	00.00	3.23	3.23	2.97	0.26
2018-19	**स्वच्छ भारत मिशन (IHHL)**	0.26	0.00	0.26	0.223	00.037
2019-20	**स्वच्छ भारत मिशन (IHHL)**	0.037	6.836	6.873	6.474	0.399
2017-18	**स्वच्छ भारत मिशन (CT/PT)**	00.00	9.80	9.80	6.45	3.35
2018-19	**स्वच्छ भारत मिशन (CT/PT)**	3.35	0.00	3.35	3.35	0.00
2019-20	**स्वच्छ भारत मिशन (CT/PT)**	0.00	6.86	6.86	6.84	0.02
2017-18	**स्वच्छ भारत मिशन (IEC)**	00.00	0.75	0.75	0.42	0.33
2018-19	**स्वच्छ भारत मिशन (IEC)**	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00
2019-20	**स्वच्छ भारत मिशन (IEC)**	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00
2017-18	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	0.93	3.587	4.517	2.61	1.91
2018-19	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	1.91	387.42	389.33	383.11	6.22
2019-20	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	6.22	35.40	41.62	0.00	41.62

भाग II(ब)

प्रस्तर 01- बैंक खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि ` 1.73 लाख को राजकोष में जमा न कराया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 16/xxvii(14)/2017 दिनांक 17.04.2017 के अनुसार विभिन्न बैंक खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि को 15 मई 2017 तक राजकोष के लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ – 04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया जाना था।

नगर पंचायत, लण्ढौरा द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु संचालित बैंक खातों की जाँच में पाया गाय कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में इकाई को निम्नाकित विवरणानुसार ₹ 172560/- की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई थी-

क्रसं.	निधि	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्राप्त ब्याज
1	अवस्थापना निधि	पंजाब नेशनल बैंक	479085	76584.00
2	अवस्थापना निधि	पंजाब नेशनल बैंक	437	5587.00
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	पंजाब नेशनल बैंक	521856	61579.00
4	स्वच्छ भारत मिशन	पंजाब नेशनल बैंक	531066	28810.00
			कुल योग	**1,72,560.00**

आगे जाँच में पाया गया कि उपरोक्त ब्याज की धनराशि विगत 01 वर्ष से निकाय के खातों में पड़ी हुई थी। इस धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि(02/2021) तक राजकोष के लेखाशीर्षक (0049) में जमा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि ब्याज की धनराशि को शीघ्र जमा करा दी जायेगी ।

अत: बैंक खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि ` 172560/- को राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II(ब)

प्रस्तर 02- सफाई व्यवस्था हेतु क्रय किए गये वाहनों का पंजीकरण किए बिना परिसंचालन किया जाना।

मोटर वाहन एक्ट के अध्याय IV की धारा 39 के अनुसार समस्त वाहनों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार " No person shall drive any motor vehicle and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place unless the vehicle is registered in accordance with this Chapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner: Provided that nothing in this section shall apply to a motor vehicle in possession of a dealer subject to such conditions as may be prescribed by the Central Government".

नगर पंचायत, लण्ढौरा के वाहनों से संबन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2019-20 के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु 04 वाहन क्रय किये गये थे । आगे जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (03/2021) तक वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाया गया था जबकि वर्तमान में उक्त वाहनों का प्रयोग पंचायत के क्षेत्रांतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु किया जा रहा था। बिना पंजीकरण किए ही संचालित किए जा रहे वाहनों का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	मॉडल	किस कार्य हेतु उपयोग
1	आयशर ट्रैक्टर	1998	ट्रांफर स्टेशन से ट्रेंचिंग ग्राउंड तक कूड़ा ले जाने हेतु
2	आयशर ट्रैक्टर	2009	ट्रांफर स्टेशन से ट्रेंचिंग ग्राउंड तक कूड़ा ले जाने हेतु
3	जे0सी0बी0	2014	ट्रांफर स्टेशन से कूड़ा ट्रैक्टर ट्राली भरने हेतु
4	टाटा ऐसस्काइ लिफ्ट-	2019	नगर में लगी स्ट्रीट लाईट रिपेयर करने हेतु

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी। ।

अतः सफाई व्यवस्था हेतु क्रय किए गये वाहनों का पंजीकरण किए बिना परिसंचालन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II(ब)</u>

प्रस्तर 03:- धनराशि ` 19.80 लाख की देयता का लंबित रहना।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड की संस्तुतियों पर सरकार द्वार लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त स्थानीय निकायों को संक्रमित की जा रही धनराशि की शर्तों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि, पथ-प्रकाश एवं जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान पर किया जाएगा।

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा के विद्धुत देयकों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्धुत वितरण खंड (ग्रामीण) रुड़की के बिल संख्या -526210118000005 दिनांकित 05 जनवरी 2021 के माध्यम से नगर पंचायत के अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाइट के 12/2020 तक के धनराशि ₹ 19,79,908/- के बकाया विद्धुत बीजकों को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (02/2021) तक उक्त बीजकों का भुगतान नहीं किया गया था। अर्थात इकाई पर धनराशि ` 19,79,908/- की देनदारी लंबित थी|

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि बोर्ड की संस्तुति के आधार पर विद्धुत बिलों के भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन एवं इकाई पर देयकों की समय पर गणना कर विद्धुत देयकों का समायोजन कर लेना चाहिए था ताकि विद्धुत देयकों का समय पर भुगतान किया जा सके तथा Surcharge का भुगतान न करना पड़े।

अतः धनराशि `19.80 लाख की देयता लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक:कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्ढौरा, जनपद-हरिद्वार** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2019-20 की संप्रेक्षा श्री केदार सिंह, स0. ले.प.अ., तथा श्री अरविंद शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 19.02.2021 से 24.02.2021 तक श्री सुनील कल्ला, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी|

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 (अ)**	**भाग-2(ब)**	**स्टैन**
AIR-148/2013-14	**प्रस्तर -1,2**	**प्रस्तर -1,2,3,4**	
AIR-195/2017-18	**शून्य**	**प्रस्तर -1,2**	
AIR-46/2019-20	**शून्य**	**प्रस्तर -1,2**	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
AIR-148/2013-14 **AIR-195/2017-18** **AIR-46/2019-20**	इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण विगत प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका		इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई		इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने के संस्तुति की जाती है		

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी**, **नगर पंचायत**, **लण्ढौरा, जिला- हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) **शून्य**
(ii)

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री राजेन्द्र पाल सैनी	अधिशासी अधिकारी	01-04-2019 से वर्तमान तक
		अध्यक्ष/प्रशासक	
01	श्री शहजाद खान	अध्यक्ष	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिकारी**, **नगर पंचायत**, **लण्ढौरा, जिला- हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये |

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II